

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
 (आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
 (Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
 अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
 व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 गोर्धनसिंह बनाम गिर्राज वगैरा

मुकदमा नंबर 201/2021

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-व-रु- व हाजरी वादी
 मिनजानिव मुददठ व मिनजानिव मुददालय पेश होकर , हुकम दिया जाता है व
 डिकरी दी जाती है कि

विवादित हाल आराजी खाता सं. 38 के आराजी खसरा न. 39 रकवा 0.55, 40 रकवा 0.83, 41 रकवा 0.02 किता 3 रकवा 1.02 हैक्ट. वाके ग्राम कासगंज तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुर्रैजात प्रस्ताव दिनांक 20.02.2024 के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रैजात प्रस्ताव दिनांक 20.02.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रैजात प्रस्ताव दिनांक 20.02.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

वेज - मुबलिंग ----- बावत ----- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
 फीसदी सालाना आज की तारीख सं-तरीख-व सुलयाबी तक ----- की अदा करें ।

दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.04.2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत

मुददई	रुपया	पैसा	मुददालय	कार्यपालक दण्डनायक नदबई (भरतपुर) राज
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक	
मीजान			मीजान	

23/4/24
 सहायक कलक्टर एवं
 कार्यपालक दण्डनायक
 नदबई (भरतपुर) राज


1. गोर्धनसिंह पुत्र बीधाराम जाति माली निवासी कासगंज रोड़ गली न. 3 कस्बा नदबई तह.नदबई(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. गिराज पुत्र बीधा जाति माली निवासी कासगंज रोड़ गली न. 3 कस्बा नदबई तह. नदबई(भरतपुर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. सब रजिस्ट्रार नदबई

प्रतिवादीगण



28/4/24

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

कस्बा नदबई

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.
201/2021

रजू दिनांक
29.11.2021

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
23.04.2024

उनवान

1. गोर्धनसिंह पुत्र बीधाराम जाति माली निवासी कासंगज रोड़ गली न. 3 कस्बा नदबई तह.नदबई(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. गिराज पुत्र बीधा जाति माली निवासी कासंगज रोड़ गली न. 3 कस्बा नदबई तह.नदबई(भरतपुर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. सब रजिस्ट्रार नदबई

प्रतिवादीगण

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23.04.2024 को श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खाता सं. 38 के आराजी खसरा न. 39 रकवा 0.55, 40 रकवा 0.83, 41 रकवा 0.02 कित्ता 3 रकवा 1.02 हैक्ट. वाके ग्राम कासंगज तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुर्रजात प्रस्ताव दिनांक 20.02.2024 के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रजात प्रस्ताव

1 23/4/24

दिनांक 20.02.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रजात प्रस्ताव दिनांक 20.02.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काशत /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



23/4/24
(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्षीहायक कलेक्टर नदबई
नदबई (भरतपुर) राज